न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
16 / 2023 GCMS NO 2023/27	01 / 04 / 2024	23 / 12 / 2024

प्रार्थी		अप्रार्थी / बाकीदार–ऋणी
ऐक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस त्रिशुल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीज ब्रीज, अहमदाबाद	बनाम	1. श्री उमा कलाल पुत्र गेन्दा लाल कलाल, वीरपुर रोड सुहागपुरा वाड्र नंबर 05, प्रतापगढ़ –ऋणी 2. श्री गेन्दालाल कलाल पुत्र प्यार चन्द कलाल निवासी बस स्टेण्ड सुहागपुरा वार्ड नंबर 5 प्रतापगढ़ –सहऋणी 3. श्री यशवन्त कलाल पुत्र भैरू लाल कलाल, चौधरी मोहल्ला सुहागपुरा, वार्ड नम्बर 3, प्रतापगढ़ –सहऋणी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

श्री नीरज शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थीपक्ष

दिनांक :–23.12.2024

–: आदेश :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.03.2021 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री उमा कलाल पुत्र गेन्दा लाल कलाल के ग्राम सुहागपुरा तहसील पीपलखूंट स्थित आवासीय प्लाट आराजी नम्बर 376 रकबा 1668.75 वर्गफीट भूमि स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 1668.75 वर्ग फीट है। जिसके पडोस पूर्व में–शंकर लाल पुत्र हमेन्ता मीणा का मकान, पश्चिम में –गुमान जैन का मकान , उत्तर में – गांव जाने का रास्ता, दक्षिण में –खाली बाडा स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 20,20,000/–अक्षरे बीस लाख बीस हजार रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजुद ऋण राशि मय ब्याज 24,42,624 अक्षरे चोईस लाख बयालिस हजार छः सौ चोईस रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14

135

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये विपक्षी उपस्थित।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 18.11.2022 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act** 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्री उमा कलाल पुत्र गेन्दा लाल कलाल के ग्राम सुहागपुरा तहसील पीपलखूंट स्थित आवासीय प्लाट आराजी नम्बर 376 रकबा 1668.75 वर्गफीट भूमि स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 1668.75 वर्ग फीट है। जिसके पडोस पूर्व में–शंकर लाल पुत्र हमेन्ता मीणा का मकान, पश्चिम में –गुमान जैन का मकान , उत्तर में – गांव जाने का रास्ता, दक्षिण में –खाली बाडा स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 23/12/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ.अंजली राजोरिया)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. ऐक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस त्रिशुल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीज ब्रीज, अहमदाबाद
3. श्री उमा कलाल पुत्र गेन्दा लाल कलाल, वीरपुर रोड सुहागपुरा वार्ड नंबर 05, प्रतापगढ़